HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5078/2025

Peer Ghulam Naseer, Aged About 48 Years, Sajjadanashin And Mutawalli Dargah Khwaja Haji Mohammed Najmuddeen Sahib Wardno 28, Fatehpur, District Sikar (Rajasthan).

----Appellant

Versus

1. Ishtiyaq Ahmed Son Of Ghulam Moinuddin, Aged About 66 years, Resident Of Ward No.28 Dargah Khawaja Nazmuddin Sahab Ke Pass, Fatehpur, District-Sikar (Rajasthan).
2. Peer Ghulam Jilani, Aged About 84 Years, (Name Deleted 08.08.2025)
3. Ghulam Moinuddin, Aged About 87 Years, Son Of Peer Ghulam Sarvar
4. Ahteramuddin, Aged About 54 Years, Son Of Peer Mohammad Aarif
5. Altaf, Aged About 49 Years, Son Of Peer Mohammad Aarif
6. Qayamuddin, Aged About 45 Years, Son Of Peer Mohammad Aarif
7. Mushtak Ahmed, Aged About 55 Years, Son Of Ghulam Moinuddin
8. Ashfak Ahmed, Aged About 48 Years, Son Of Ghulam Moinuddin
9. Irshad Ahmed, Aged About 44 Years, Son Of Ghulam Moinuddin
10. Ishak Ahmed, Aged About 43 Years, Son Of Ghulam Moinuddin

11. Iftekhar Ali, Aged About 54 Years, Son Of Ghulam Jilani.
12. Ijharul Hak, Aged About 43 Years, Son Of Ghulam Jilani
13. Iqtedar Najmi, Aged About 40 Years, Son Of Ghulam Jilani
14. Mohammad Asad Farooki, Aged About 23 Years, Son Of Late Mukhtar Ahmed
15. Shoaun Najam, Aged About 32 Years, Son Of Jiyaun Nazam
16. Sohail Nazam Son Of Jiyaun Nazam, Aged About 25 Years, All 3 To 16 Are Residents Of Ward No.28, Dargah Khawaja Nazmuddin Sahab Ke Pass, Fatehpur, District Sikar (Rajasthan).
17. Jiyaul Hak Son Of Vajihuddin, Aged About 59 Years, Resident Of Bas Stand Ke Pass, Nimbi Jodha Nagaur (Rajasthan)
18. Fiyaz Ahmed Son Of Vajihuddin, Aged About 51 Years, Resident Of Bas Stand Ke Pass, Nimbi Jodha Nagaur (Rajasthan)
19. Rajasthan Borad Of Muslim Waqf Jaipur, Through Chief Executive Officer.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Amit Singh Shekhawat, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. J P Goyal, Sr. Adv. Assisted by Mr. Aditya Matolia, Adv. Ms. Jyoti Swami, Adv. Ms. Yashika Vijayvargia, Adv. for Respondent No-1

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

REPORTABLE

Judgment / Order

i. The date of conclusion of arguments:	18-02-2026
ii. The date on which the judgment was reserved:	18-02-2026
iii. Whether the full judgment or only the operative part was pronounced:	Full judgment
iv. The date of pronouncement:	24-02-2026

अपीलार्थी／प्रतिवादी सं.–1 (जिसे आगे ''प्रतिवादी संख्या 1'' कहा जाएगा) द्वारा यह दिवानी विविध अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर द्वारा दीवानी नियमित अपील संख्या 12／2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से मूल वाद के वादी／प्रत्यर्थी संख्या–1 (जिसे आगे ''वादी'' कहा जाएगा) द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर जिला सीकर द्वारा दीवानी वाद संख्या 317／2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 को अपास्त किया गया, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या–1／अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को नामंजूर किया गया।

अपील की पोषणीयता व गुणदोषों पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–1 व वादी की बहस सुनी गयी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

इस मामले में यह विवाद रहित है कि कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर में दरगाह ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन दरगाह स्थित है जिसमें नुरूल हसन चतुर्थ सज्जादानसीन थे, वादी इश्तियाक अहमद, उपरोक्त चतुर्थ सज्जादानसीन नुरूल हसन का भतीजा है तथा प्रतिवादी संख्या–1 दोहिता (नवासा) है।

चतुर्थ सज्जादानसीन नुरूल हसन के कोई पुत्र नहीं था और उनके द्वारा अपनी पुत्री हुकुमत के पुत्र गुलाम नसीर/प्रतिवादी संख्या–1 को सज्जादानसीन नियुक्त किया और उसके संबंध में एक वसीयत भी निष्पादित की गयी। चतुर्थ सज्जादा–नसीन नुरूल हसन के भाई–बंधों द्वारा यह आपत्ति ली गई कि सज्जादानसीन का पद वंशानुगत है और पुरूष उत्तराधिकारी को ही यह पद प्राप्त हो सकता है, नवासा इस पद के लिए योग्य नहीं है। उपरोक्त विवाद उठाये जाने पर पूर्व में सिविल न्यायालय में वाद संख्या–96/1982 पीर गुलाम नसीर बनाम रहमानी, वाद संख्या–59/1986 पीर गुलाम नसीर बनाम गुलाम जिलानी तथा वाद संख्या–96/1995 पीर गुलाम जिलानी बनाम गुलाम नसीर प्रस्तुत हुए, इन तीनों प्रकरणों को समेकित करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2003 को निर्णय पारित किया गया और प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर की सज्जादानसीन के पद पर नियुक्ति को सही माना तथा वसीयत दिनांक 12.09.1979 को जो नुरूल हसन द्वारा निष्पादित की गई थी, उसे भी प्रमाणित माना गया।

उपरोक्त तीनों वाद में पारित निर्णय को अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या–76/2004, 77/2004 व 78/2004 के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2004 को निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2004 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या–504/2004, 507/2004 व 506/2004 के माध्यम से चुनौती दी गई, परंतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2012 को निर्णय पारित करते हुए तीनों अपीलें खारिज की गई, जिसके विरूद्ध सिविल अपील नंबर–107770/2013, 10771/2013 व 10772/2013 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन यह तीनों सिविल अपीलें निर्णय दिनांक 24.07.2019 के माध्यम से खारिज करते हुए विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पुष्टि करते हुए निम्न मत प्रकट किया:–

> "All the Three Courts have not committed any error in reading the Zabta and coming to the conclusion that respondent was eligible to be nominated as Sajjadah Nashin and Mutawalli. We do not find any merit in these appeals which are accordingly dismissed."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 24.07.2019 के विरूद्ध वर्तमान वादी के परिजनों द्वारा रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 21.01.2020 को खारिज हुई जिसके विरूद्ध पुनः क्यूरेटिव पिटीशन प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक

24.11.2024 को खारिज की जा चुकी है और इन तीनों पिटीशन में वर्तमान वादी के पिता, चाचा व अन्य परिजन पक्षकार थे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि पूर्ववर्ती वाद विचारण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में थे, लेकिन विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही मानते हुए प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर को उपरोक्त दरगाह के सज्जादानसीन व मुतव्वली नियुक्त किये जाने के तथ्यों को विधिसम्मत होना माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका भी खारिज होकर यह विवाद अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सभी वाद व अपीलों में वर्तमान वादी इश्तियाक अहमद के पिता गुलाम मोईनुद्दीन पक्षकार रहे हैं।

विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उपरोक्त विवाद अंतिम रूप से निर्णीत होने के बाद वादी द्वारा विचारण न्यायालय में वाद संख्या–317/2022 प्रस्तुत करते हुए यह अभिकथित किया गया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत तीनों वाद स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में थे, उसमें घोषणा का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था, प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर द्वारा जाप्ता (संविधान) की व्यवस्था के विपरीत गलत तथ्य रखकर विचारण न्यायालय से निर्णय दिनांक 17.04.2003 धोखे से प्राप्त किया है और इस आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2003, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2004, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2012 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। यह भी निवेदन किया कि दरगाह ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन का सज्जादानसीन प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर के स्थान पर प्रतिवादी संख्या–02 गुलाम जिलानी को अथवा उसके पुत्र व पौत्र को सज्जादानसीन घोषित किया जावे तथा नुरूल हसन द्वारा निष्पादित वसीयत को भी शून्य घोषित किया जावे।

वादी इश्तियाक अहमद की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या–317/2022 में प्रतिवादी संख्या–01 गुलाम नसीर द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश कर यह अभिकथित किया कि वसीयत व सज्जादानसीन के पद के संबंध में उपरोक्तानुसार विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक विवाद अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है, वादी के पिता भी पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार थे, अतः ऐसी स्थिति में रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है। एक आपत्ति यह भी ली गयी कि वादी ने प्रतिवादी संख्या–02 के अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है, उसके लिए प्रतिवादी संख्या–02 पहले से ही पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार थे, वादी को वास्तव में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और इस आधार पर भी वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत नामंजूर किये जाने का निवेदन किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से स्वीकार कर दावा नामंजूर किया, लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से अपील

स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 10..11.2022 को अपास्त करते हुए वाद का विचारण विधिनुसार करने हेतु विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित कियाः–

> ''अतः अपीलार्थी इश्तियाक अहमद द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील याचिका विरूद्ध प्रत्यर्थीगण गुलाम नसीर वगैरह स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अपास्त किया जाता है। उभयपक्ष द्वारा दिनांक 13.10.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में नियमानुसार मूल वाद को पुनः रेस्टोर कर विधि अनुसार कार्यवाही की जावे। उपर्युक्तानुार अपील का निस्तारण किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।''

विद्वान अधिवक्ता वादी–प्रत्यर्थी संख्या–01 की प्रारंभिक आपत्ति यह है कि आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर पारित होने वाला निर्णय धारा 2(2) सी.पी.सी. के अनुसार डिक्री की परिधि में आता है, अतः ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 भी डिक्री की श्रेणी में आता है और इस कारण से धारा 100 सी.पी.सी. के अनुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है, धारा 104 सपठित आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत विविध अपील पोषणीय नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रतिवादी संख्या–01 का यह तर्क है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार होकर वाद नामंजूर किया जाता है तो वह धारा 2(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार डिक्री माना जायेगा लेकिन जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन खारिज कर विचारण न्यायालय को मामला सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, तो अपीलीय न्यायालय का यह निर्णय पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप ये निर्णीत नहीं करता है एवं ऐसा आदेश/निर्णय आदेश 41 नियम 23 व 23ए सी.पी.सी. के तहत माना जायेगा और आदेश 43 नियम 1(u) सी.पी.सी. के तहत ऐसे आदेश के विरूद्ध विविध अपील ही पोषणीय है।

विद्वान अधिवक्ता वादी–प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय Rishabh Chand Jain and Anr. Vs. Ginesh Chandra Jain 2016 (SC) 2143 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन मंजूर कर दावे को नामंजूर किया जाता है, तो सी.पी.सी. की धारा 2(2) के अनुसार ऐसा आदेश डिक्री की तारीफ में आयेगा, जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होकर अपील धारा 96 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय होगी। इस निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की तथ्यात्मक स्थिति नहीं रही है, अतः यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

वादी–प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय C.M. Meenakshi Vs. Archbishop of Bangalore and Ors.

2025 INSC 1363 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा का बिंदु विशिष्ट मामलों में तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न हो सकता है और इसी अनुसार रेस्ज्यूडिकेटा का बिंदु भी विचारण का विषय हो सकता है और ऐसे मामलों में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत भी दावा नामंजूर नहीं किया जा सकता। Kuldeep Singh Pathania Vs. Bikram Singh Jaryal 2017 (5) SCC 345 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय मात्र वादपत्र व उसके संलग्न दस्तावेजों पर ही विचार किया जा सकता है, प्रतिवादी के बचाव पर इस स्टेज पर विचार किया जाना उचित नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय Shrivatsa Goswami Vs. Anant Prasad Singh and Anr. 2024 Supreme (All) 1233 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के तहत वाद नामंजूर किया जाता है तो यद्यपि अन्य बिंदुओं पर प्रकरण का व पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं होता है, लेकिन धारा 2(2) सी.पी.सी. के डिमिंग प्रावधान के अनुसार ऐसा आदेश/निर्णय डिक्री की श्रेणी में माना जायेगा, लेकिन इसके उलट यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन नामंजूर किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर मामला विचारण हेतु पुनः प्रेतिप्रेषित किया जाता है तो धारा 2(2) सी.पी.सी. के

प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ऐसे आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील धारा 100 सी.पी.सी. के तहत नहीं होकर आदेश 43 नियम 1 सपठित धारा 104 सी.पी.सी. के अनुसार ही विविध अपील पोषणीय होगी। उपरोक्त न्यायिक निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए वादपत्र नामंजूर किया गया था, लेकिन अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए मामला पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आदेश 41 नियम 23 सी पी सी में जिस रूप में राज्य संशोधन किया गया था ठीक उसी अनुरूप राजस्थान राज्य द्वारा भी दिनांक 11.03.1965 के संशोधन के माध्यम से आदेश 41 नियम 23 सी पी सी में राज्य संशोधन करते हुए यह विधिक प्रावधान किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रांरभिक बिन्दु पर कोई वाद अंतिम रूप से निर्णीत किया गया है, उस मामले में तथा अन्यथा विचारण के उपरांत प्रकरण निर्णीत हुआ है तो उस स्थिति में भी अर्थात दोनों ही स्थिति में अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए वाद को पुनः नम्बर पर लेकर नये सिरे से निर्देशित आदेशानुसार विचारण हेतु मामला प्रतिप्रेषित कर सकता है, अतः ऐसी स्थिति में संशोधन के उपरांत आदेश 41 नियम 23 सी पी सी तुलनात्मक रूप से व्यापक है, जो निम्नानुसार हैः–

> "23. Remand of case by Appellate Court.—Where the Court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit on a preliminary point and the decree is reversed in

> appeal, or where the Appellate Court while reversing or setting aside the decree under appeal, considers it necessary in the interests of justice to remand the case, it may by order remand the case, and may further direct what issue or issues shall be tried in the case so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to the Court from whose decree the appeal is preferred, which direction to re-admit the suit under its original number in the register of civil suits, and proceed to determine the suit; and the evidence if any, recorded during the original trial shall, subject to all just exceptions, be evidence during the trial after remand."

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष यद्यपि रेस्ज्युडिकेटा अर्थात पूर्व न्याय तथा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के दो आधार लिये गये थे, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा रेस्ज्युडिकेटा के बिन्दु को प्रांरभिक बिन्दु नहीं माना, परंतु वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानते हुए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया गया था। स्पष्ट है कि यह वाद संपूर्ण बिन्दुओं अर्थात विवाद्यकों पर नहीं होकर मात्र वाद कारण के प्रारंभिक बिन्दु पर ही निर्णीत हुआ है।

न्यायिक निर्णय Shrivatsa Goswami Vs. Anant Prasad Singh and Anr. (पूर्वोक्त) के पैरा संख्या–42, 56, 57 व 58 सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैः–

> "42. The order passed by the lower appellate court allowing the appeal and setting aside the order passed by the trial court rejecting the plaint under Order VII Rule 11 with a further direction to re-

register the suit, invite objections from the defendants for framing issues and after taking evidence give a decision on all the issues, cannot be held to be a judicial determination conclusively determining the rights of the parties. The order, therefore, cannot be held to be a 'decree' so as to amenable to a further appeal under Section 100 of the Code.

56. Putting it succinctly, it may be stated as a legal proposition that where an order rejecting a plaint under Order VII Rule 11 is affirmed in appeal, it would be subject to a further remedy of second appeal under Section 100, alternatively, if the appellate court reverses the order of rejection of the plaint, the remedy would be to file an 'appeal against an order' under Order XLIII Rule 1(u).

57. Applying the aforestated legal principles, to the facts of the present case, leads to the inference that the order dated 07.04.2023 passed in Civil Appeal No. 67 of 2022 in terms of which the order dated 22.11.2022 passed by the trial court rejecting the plaint under Order VII Rule 11 of the Code, has been reversed with a direction to restore the suit to its original number and proceed to determine the suit, cannot be held to be a 'decree' amenable to a second appeal under Section 100 of the Code.

58. The order in question would have to be held a 'remand order' covered under Order XLI Rule 23 of the Code (as read in terms of the Allahabad Amendment), and it would be subject to the remedy of an 'appeal from an order' under Section 104 read with Order XLIII Rule 1(u) of the Code."

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों में भिन्नता के कारण से वर्तमान मामले में लागू नहीं

होते हैं जबकि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय Shrivatsa Goswami Vs. Anant Prasad Singh and Anr. (पूर्वोक्त) पूर्णतः इस प्रकरण में लागू होता है तथा उसमें प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार कर वाद नामंजूर करने के आदेश को अपास्त किया जाता है और मामला विचारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है तो ऐसा निर्णय आदेश 41 नियम 23 सी पी सी की परिधि में आता है और ऐसा आदेश/निर्णय धारा 104 सपठित आदेश 43 नियम 1 (U) सी पी सी के तहत अपील योग्य है, इस प्रकार के निर्णय को द्वितीय अपील के रूप में धारा 100 सी पी सी के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जो विविध अपील प्रस्तुत की गयी है, वह पोषणीय है, अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–वादी की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

अब इस न्यायालय के समक्ष यह मूल प्रश्न विचार योग्य शेष रह जाता है कि वर्तमान मामले में वादी–प्रत्यर्थी संख्या–1 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है अथवा नहीं ?

सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का हनन होता है और उसके परिणामस्वरूप उसे विधिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है तो उसे वाद कारण कहा जाता है तथा उसका उल्लेख वादपत्र में किया जाना अपेक्षित हो जाता है। यह विधिक व्यवस्था भी स्पष्ट है कि वाद कारण के बिन्दु पर वादपत्र व उसके संलग्न दस्तावेजों पर ही विचारण

RAJASTHAN HIGH COURT

किया जा सकता है, प्रतिवादी के अभिकथन या बचाव सुसंगत नहीं होते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय Rajendra Bajoria & Ors. Vs. Hemant Kumar Jalan & Ors. (2022) 12 S C C 641 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि उपरोक्त दृष्टिकोण से वादपत्र का अध्ययन अर्थपूर्ण होना आश्यक है, चतुराई के साथ अभिकथन अंकित करते हुए भ्रामक रूप से वाद कारण उत्पन्न होना बताया गया है तो उस पर सतर्कता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है, इस निर्णय का पैरा संख्या–15 सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैः–

> 15. It could thus be seen that this Court has held that reading of the averments made in the plaint should not only be formal but also meaningful. It has been held that if clever drafting has created the illusion of a cause of action, and a meaningful reading thereof would show that the pleadings are mainifestly vexatious and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, then the court should exercise its power under Order 7 Rule 11 CPC. It has been held that such a suit has to be nipped in the bud at the first hearing itself."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dahiben Vs. Arvindbhai Kalyanji Bhanusali (Gajra) Dead Through Legal Representatives & Ors. (2020) 7 SCC 366 के पैरा संख्या 24 में वाद कारण को निम्न रूप से परिभाषित किया गया हैः–

> "Cause of action" means every fact which would be necessary for the plaintiff to

prove, if traversed, in order to support his right to judgment. It consists of a bundle of material facts, which are necessary for the plaintiff to prove in order to entitle him to the reliefs claimed in the suit. "

वर्तमान मामले में पूर्ववर्ती विवेचनानुसार स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में चतुर्थ सज्जादानसीन द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत व उसे सज्जादानसीन व मुतव्वली नियुक्त किये जाने का विवाद विचारण, प्रथम अपीलीय न्यायालय, द्वितीय अपीलीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निर्णीत हो चुका है और प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत व सज्जादानसीन व मुतव्वली के पद पर की गयी उसकी नियुक्ति को विधिसम्मत माना है। यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जो निर्णय पारित हुए हैं उनमें वादी के पिता व चाचा पक्षकार के रूप में संयोजित थे और उनकी उपस्थिति में यह बिन्दु तय हुआ है। वादी स्वयं का यह अभिकथन है कि यह पद वंशानुगत होकर पुरूष उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है, अतः ऐसी स्थिति में जब वादी के पिता विचारण न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अपने अधिकार को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वादी नये सिरे से अपने पक्ष में वाद कारण होना बताकर जो वाद लेकर आया है, वह पूर्णतः तुच्छ, विरोधी पक्ष को प्रताडित करने वाला होकर स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

वादी यह अभिकथन लेकर आया है कि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा धोखे से विचारण न्यायालय से लेकर माननीय

सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णय प्राप्त किया है, परंतु उस दौरान क्या प्रवंचना व धोखा रहा, ऐसा अभिकथन नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में वादी विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन करके आया है कि उपरोक्त दरगाह के संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 की सज्जादानसीन के पद पर की गयी नियुक्ति विधिसम्मत नहीं है तथा उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 गुलाम जिलानी अथवा उसके उत्तराधिकारियों को सज्जादानसीन घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गुलाम जिलानी पूर्ववर्ती सभी वाद व अपीलों में पक्षकार रहा है तथा उसके अधिकार निर्णीत हो चुके हैं, उनके अधिकारों का पुनर्निधारण करवाने का वादी अधिकारी हो, यह पूर्णतः निराधार है। वादी के किसी विधिक अधिकार का हनन हो रहा है और उसके लिए वह न्यायालय के समक्ष आया है, ऐसी स्थिति नहीं है। उसके द्वारा कोई अनुतोष स्वयं के लिए नहीं मांगा गया है, अतः ऐसी स्थिति में उसे किसी भी रूप में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु उसके द्वारा जो विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णीत हो चुका है, बिना किसी उचित कारण के उसे पुनः उठाये जाने का अनावश्यक दुस्साहस किया है, वादी का वाद पूर्णतः विरोधी पक्ष को तंग करने वाला व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय Rajendra Bajoria & Ors. Vs. Hemant Kumar Jalan & Ors. (पूर्वोक्त) के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण, मिथ्या व कुटिल वाद को प्रांरभिक स्तर पर ही नामंजूर किया जाना उचित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T. Arivandandam Vs. T.V. Satyapal & Anr. 1978 SCR (1) 742 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वादार्थीयों पर धारा 35–ए सी.पी.सी. के तहत कोस्ट अधिरोपित की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 का आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद नामंजूर किये जाने के संबंध में जो निर्णय दिनांक 10.11.2022 पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दीवानी नियमित अपील संख्या 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए मामला पुनः प्रतिप्रेषित किया है, वह पूर्णतः तथ्यों व विधि के विपरीत है, अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2025 अपास्त तथा विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2022 पुष्ट होने योग्य है।

वादी के आचरण व उसकी दुर्भावना तथा न्यायिक प्रक्रिया की दुरूपयोगिता की स्थिति को देखते हुए भारी कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्याय संगत है, परंतु फिर भी उदारता का रूख अपनाते हुए उस पर 25,000/–रूपये कोस्ट अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी पीर गुलाम नसीर की यह अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दीवानी नियमित अपील संख्या 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2025 को अपास्त किया जाता है तथा

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 की पुष्टि की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या–1/मूल वाद के वादी इश्तियाक अहमद पर 25,000/–रूपये कोस्ट अधिरोपित की जाती है, जो वादी द्वारा आज से एक माह में विचारण न्यायालय में जमा करायी जावेगी, यह कोस्ट राशि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 गुलाम नसीर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 30 दिन में यह कोस्ट राशि जमा नहीं कराई जाती है तो प्रतिवादी संख्या–1 विचारण न्यायालय में निष्पादन कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /reserve